

भाग-3

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है,)

File No. FP/UP / Others/ 36498/2018

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है, क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है, (हां या नहीं), यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें। — नहीं।
15. क्या संबंधित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है। — हाँ।
16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें। — प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा द्वारा दी गयी आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव संस्तुति सहित प्रेषित है।

तिथि : 01/5/2023

स्थान : mbd.

नाम व पदनाम
सरकारी मोहर

(रमेश चन्द्र)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक - 3203 / 14-1 दिनांक, मुरादाबाद, 02/05/2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय :-

जनपद अमरोहा में अमरोहा-कैलसा-पाकबड़ा मार्ग किमी० चैनेज 3.950 की दांयी पटरी पर ग्राम पचौकरा महरवान अली तह० व जिला अमरोहा की खसरा संख्या-118 पर न्यू होटल विशाल फार्मस के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.029312हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। File No. FP/UP / Others/ 36498/2018

सन्दर्भ :-

प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा की पत्र संख्या-3677 / 14-1, दिनांक 29-04-2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा ने जनपद अमरोहा में अमरोहा-कैलसा-पाकबड़ा मार्ग किमी० चैनेज 3.950 की दांयी पटरी पर ग्राम पचौकरा महरवान अली तह० व जिला अमरोहा की खसरा संख्या-118 पर न्यू होटल विशाल फार्मस के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.029312हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति सम्बन्धित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया है। प्रभाग स्तर से प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षण उपरान्त प्रस्ताव संस्तुति सहित 03 मूल प्रतियों में आपको इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया विषयक प्रस्ताव पर अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक- प्रस्ताव मूल 03 प्रतियों में।

भवदीय
(रमेश चन्द्र)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक- 3203 / 14-1, उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:- 1- मुख्य वन संरक्षक, रुहेलखण्ड जोन, उ०प्र०, बरेली को सूचनार्थ प्रेषित।

2- प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा को उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप अपने माध्यम से विषयक प्रस्ताव (इस कार्यालय से प्राप्त कर) मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय में यथाशीघ्र/तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(रमेश चन्द्र)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।